Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- राजसमन्द में आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत हाल– सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाड़ा जिला राजसमन्द 25,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 14 जून, शनिवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी राजसमन्द द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत, हाल– सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाड़ा जिला राजसमन्द को परिवादी के पुत्र के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी के पुत्र के साथ मारपीट नहीं करने, परिवादी की पत्नी को प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने एवं प्रकरण में मदद करने की एवज में रिश्वत राशि **25,000/– रूपये** लेते हुए आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत हाल–सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाड़ा जिला राजसमन्द को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी राजसमन्द को एक शिकायत इस आशय की मिली कि श्री आनन्द सिंह रावत हाल–सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी के पुत्र के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी के पुत्र के साथ मारपीट नहीं करने, परिवादी की पत्नी को प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने एवं प्रकरण में मदद करने की एवज में रिश्वत राशि 30,000/– रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा रहा है

जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी चौकी राजसमन्द के **उप अधीक्षक पुलिस श्री रतन सिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में आज मय टीम के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री आनन्द सिंह रावत हाल–सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द को रिश्वत राशि 25,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्र के 500–500 रूपये के 50 नोट कुल **25,000/– रूपये** लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपीगणो से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।